156 ~~156~~

and Control of Water Pollution Board, hereby makes the following Rules, namely:-

RULES

1. *Short title.*—These rules may be called the Madhya Pradesh State Prevention and Control of Water Pollution Board and its Committees (Meetings) Rules, 1975.

2. *Definitions.*—In these rules, unless the context otherwise required:—

(a) "Act" means the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974) ;

(b) "Board" means the Madhya Pradesh State Prevention and Control of Water Pollution Board constituted under sub-section (1) of section 4 of the Act ;

(c) "Chairman" means the Chairman of the Board ;

(d) "Member Secretary" means the Member-Secretary of the Board ;

(e) "Member" means the member of the Board.

3. *Convening of Meetings of the Board.*—(1) A meeting of the Board shall be either ordinary or special.

(2) The date of every meeting shall be fixed by the Chairman.

(3) Notice of every meeting specifying the time and place thereof and the business to be transacted thereat shall be sent to every member under certificate of posting and exhibited at the office of the Board seven clear days before an ordinary meeting and three clear days before a special meeting.

(4) No business other than that specified in the notice relating thereto shall be transacted at a meeting.

4. *Power of Chairman to call special Meeting.*—The Chairman may, whenever he thinks fit, call a special meeting for the transaction of the business of urgent nature.

5. *Place of Meeting.*—Every meeting of the Board shall ordinarily be held in premises used as office by the Board but the Chairman may, if he thinks fit, hold a meeting at any place in Madhya Pradesh.

6. *Chairman of meeting.*—At every meeting of the Board, the Chairman if presents or in his absence, such one of their members as the members may elect, shall preside.

157

7. *Quorum.*—(1) No business shall be transacted at a meeting of the Board unless a quorum of six members be present throughout the meeting.

(2) If there be no quorum present at a meeting at any time, the presiding authority shall adjourn the meeting to such hour on the following or such other further day as he may reasonably fix. A notice of such adjournment shall be fixed up at the place of the meeting adjourned, and the business which would have been brought before the original meeting had there been a quorum thereat shall be brought before the adjourned meeting and may be disposed of at such meeting or at any subsequent adjourned meeting, whether there be a quorum present or not.

(3) A notice of adjournment exhibited at the place of the meeting adjourned on the day on which the meeting is adjourned shall be sufficient notice of the subsequent meeting.

8. *Minutes of Proceedings.*—Minutes of the proceedings at each meeting of the Board shall be recorded in a book to be kept for the purpose and shall be confirmed in the next ensuing meeting. A copy of minutes of the proceedings shall also be circulated to all the members as far as possible before the next meeting.

9. *Decision of Questions by Majority of votes.*—All questions brought before any meeting of the Board shall be decided by a majority of the votes of the members present and in the case of equality of votes, the presiding authority at the meeting shall have a second or a casting vote.

10. *Application of Rules to meeting of Committees.*—Rules 3 to 7 shall apply *mutatis mutandis* to the meeting of the committees constituted under section 9 of the Act subject to the modification that the fixation of place of meeting shall be subject to the approval of the Chairman.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
N. C. JAIN, Dy. Secy.

4 1654

नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग

भोपाल, दिनांक ११ जुलाई १९७५.

क्र. १७६६-६२१-तीतीस-७५.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ (क्र. ६ सन् १९७४) की धारा ६४ की उपधारा (१) तथा उपधारा (२) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण मंडल से परामर्श करने के पश्चात्, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

नियम

१. संक्षिप्त नाम.—ये नियम मध्यप्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण मंडल तथा उसकी समितियां (सम्मिलन) नियम, १९७५ कहलायेंगे.

२. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ (क्र. ६ सन् १९७४);

(ख) "मण्डल" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन गठित मध्यप्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण मंडल;

(ग) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है मण्डल का अध्यक्ष;

(घ) "सदस्य सचिव" से अभिप्रेत है मण्डल का सदस्य सचिव;

(ङ) "सदस्य" से अभिप्रेत है मण्डल का सदस्य.

३. मण्डल के सम्मिलनों का बुलाया जाना.—(१) मण्डल का सम्मिलन या तो साधारण या विशेष होगा.

(२) प्रत्येक सम्मिलन की तारीख अध्यक्ष द्वारा नियत की जायगी.

(३) प्रत्येक सम्मिलन की सूचना, जिसमें उसका (सम्मिलन का) समय तथा स्थान और उसमें संपादित किये जाने वाले कार्य को विनिर्दिष्ट किया जायगा, साधारण सम्मिलन से पूरे सात दिन पूर्व और विशेष सम्मिलन से पूरे तीन दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को प्रेषण-प्रमाण पत्र के अधीन भेजी जायगी और मण्डल के कार्यालय पर प्रदर्शित की जायगी.

(४) सम्मिलन में ऐसा कोई भी कार्य संपादित नहीं किया जायगा जो तत्संबंधी सूचना में विनिर्दिष्ट किये गये कार्य से भिन्न हो.

४. अध्यक्ष की विशेष सम्मिलन बुलाने की शक्ति.—अध्यक्ष, जब भी वह उचित समझे, अत्यावश्यक प्रकार के कार्य के संपादन के लिए विशेष सम्मिलन बुला सकेगा.

५. सम्मिलन का स्थान.—मण्डल का प्रत्येक सम्मिलन सामान्यतः मण्डल द्वारा कार्यालय के रूप में उपयोग किये जा रहे परिसर में होगा परन्तु अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे, मध्यप्रदेश में किसी भी स्थान पर सम्मिलन आयोजित कर सकेगा.

६. सम्मिलन का अध्यक्ष.—मण्डल के प्रत्येक सम्मिलन में अध्यक्ष, यदि वह उपस्थित न हो, या उसकी अनुपस्थिति में, सदस्यों की संख्या में से ऐसा एक जिसे वे निर्वाचित करें, बैठक की अध्यक्षता करेगा.

७. गणपूर्ति.—(१) मण्डल के सम्मिलन में कोई भी कामकाज तब तक संपादित नहीं किया जायगा जब तक कि छः सदस्यों की गणपूर्ति, सम्मिलन में पूरे समय न रहे.

(२) यदि सम्मिलन में किसी भी समय गणपूर्ति न रहे, तो अध्यक्षता करने वाला प्राधिकारी, सम्मिलन को आगामी या किसी अन्य अगले दिन को ऐसे समय के लिये, जिसे वह सुविधाजनक रूप से नियत करे स्थगित कर सकेगा. ऐसे स्थगन की सूचना, स्थगित सम्मिलन के स्थान पर लगा दी जायगी और वह कामकाज जो मूल सम्मिलन में उस में गणपूर्ति होने की स्थिति में प्रस्तुत किया जाता, स्थगित सम्मिलन में प्रस्तुत किया जायगा और ऐसे सम्मिलन में या उसके पश्चात्वर्ती किसी स्थगित सम्मिलन में निपटाया जायगा भले ही उसमें गणपूर्ति हो या न हो.

(३) जिस दिन सम्मिलन स्थगित किया गया हो, उस दिन स्थगित सम्मिलन के स्थान में प्रदर्शित स्थगन की सूचना पश्चात्वर्ती सम्मिलन की पर्याप्त सूचना होगी.

८. सम्मिलन के कार्यवृत्त.—मण्डल के प्रत्येक सम्मिलन की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त, इस प्रयोजन हेतु रखी गई पुस्तक में अभिलिखित किये जायेंगे और ठीक आगामी सम्मिलन में उनकी पुष्टि की जायगी. कार्यवाहियों के कार्यवृत्त की एक प्रति यथा संभव आगामी सम्मिलन के पूर्व समस्त सदस्यों को परिचालित भी की जायगी.

९. बहुमत द्वारा प्रश्नों का विनिश्चय.—मण्डल के किसी भी सम्मिलन में प्रस्तुत समस्त प्रश्नों पर उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चय किया जायगा और मतों की समानता की दशा में, सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले प्राधिकारी को द्वितीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा.

१०. समितियों के सम्मिलन को नियमों को लागू होना.—नियम ३ से ७, अधिनियम की धारा ९ के अधीन गठित समितियों के सम्मिलन को इस उपांतरण के अध्यधीन रहते हुये यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे कि सम्मिलन के स्थान का नियत किया जाना अध्यक्ष के अनुमोदन के अध्यधीन होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवलचंद जैन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक ११ जुलाई १९७५.

क्र. १८०१-तैंतीस-७५.—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. १७९९-९२१-तैंतीस-७५, दिनांक ११ जुलाई १९७५ का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवलचंद जैन, उपसचिव

Bhopal, the 11th July 1975.

No. 1799-921-XXXIII-75.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (b) of sub-section (2) of section 64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974), the State Government, after consulting the Madhya Pradesh State Prevention

Office of the M.P. State Prevention & Control of Water Pollution Board
No. 1019
15.4.91
BHOPAL

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल, दिनांक 4/4/91.

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-114/32/90. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का सं. 6) की धारा 64 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से परामर्श करने के पश्चात, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण मण्डल तथा उसकी समितियां (सम्मिलन) नियम, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

संशोधन

उक्त नियमों में नियम 3 के उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(3) प्रत्येक सम्मिलन की सूचना, जिसमें उसका (सम्मिलन का) समय तथा स्थान और उसमें संपादित किये जाने वाले कार्य को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, साधारण सम्मिलन से पूरे सात दिन पूर्व और विशेष सम्मिलन से पूरे तीन दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को प्रेषण-प्रमाण पत्र के अधीन भेजी जाएगी और मण्डल के कार्यालय पर प्रदर्शित की जाएगी । इसके अलावा अतिरिक्त प्रस्ताव, यदि कोई हो, अध्यक्ष की अनुमति से समिति के समक्ष लाया जा सकेगा यदि उसे समुचित समय पर मण्डल कार्यालय और सम्मिलन के स्थान पर प्रदर्शित कर दिया जाता है"।

Legal Adviser
Pl. see with original Act
TS 12/4
M.S.
L.A.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के
नाम से तथा आदेशानुसार,

(हस्ताक्षर)
(डी० एस० राय)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग.

2.....

पृष्ठांक्र० एफ 5-114/32/90. भोपाल, दिनांक 4/4/91.

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
2. नियंत्रक, म०प्र० शासकीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर असाधारण राजपत्र के प्रकाशनार्थ।
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग.
4. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग.
5. उद्योगायुक्त, भोपाल।
6. श्रमायुक्त, इन्दौर।
7. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
8. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन भोपाल।
9. अध्यक्ष, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल.

समस्त क्षेत्रीय/आंचलिक अधिकारी, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

....

(डी० एल० राय)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग.

काले/1491.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
HOUSING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT

....

NOTIFICATION

Bhopal, dated 4th April 1991

No.F-5-114/32/90 In Excercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (b) of sub-section (2) of section 64 of the Water (Prevention and control of Pollution) Act,1974 (No.6 of 1974), the State Government after consultation with the State Pollution Control Board, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh State Prevention and Control of Water Pollution Board and its Committees (meetings) Rules,1975, namely:-

AMENDMENT

In the sid rules, for sub-rules (1) of rule 3, the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"3. Notice of every meeting specifying the time andplace thereof and the business to be transacted thereof shall be sent to every member under certificate of posting and exhibited at the office of the Board seven clear days before an ordinary meeting and three clear days before a special meeting. Besides this with the permission of the Chairman additional proposal, if any, may be brought before the Committee, if it is exhibited at theappropriate time at the ofice of the Board and at the Place of meeting."

By ordereed in the name of the
Governor of Madhya Pradesh

(D. S. Rai) 3/4/91
Dy. Secretary to Govt. of M.P.
Housing and Environment Department.

F.5-114/32/90

Bhopal, dated 4th April, 1991

Copy forwarded to :-

1. Chairman, Central Pollution Board, New Delhi
2. Controllor, Govr.Press for published in Gazett.
3. Secretary, Govt.of M.P.Commerce & Industry.
4. Secretary, Govt.of M.P.Labour Deptt.
5. Industries Commissioner, Bhopal
6. Labour Commissioner, Indore
7. Chairman, M.P.Pullution Control Board, Bhopal.

Dy. Secretary.